वॉइस ऑफ **ओबीसी**

अन्य पिछड़े की समसामयिक पत्रिका

अंक 22 - मार्च 2019

सहयोग राशि रू. 20/-

नेल्सन मंडेला

Art 338-B to state

"There shall be a commission for the socially and educationally backward classes to be known as the National Commission for Backward Classes"

National Commission for Backward Classes

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

Government Of India

सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री

श्री थावर चन्द गहलोत

दिनांक 21 अप्रैल 2019 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नव–प्रोन्नत महाप्रबंधक श्री ताता वेंकट वेणुगोपाल एवं वाराणसी के नए क्षेत्र प्रमुख श्री विकास कुमार सिन्हा का संगठन ने अपने पीसीएफ प्लाजा स्थित कार्यालय 77 में विदाई एवं स्वागत किया

हार्दिक विदाई
श्री ताता वेंकट वेणुगोपाल
नव प्रोन्नत महाप्रबंधक

हार्दिक अभिनंदन
श्री विकास कुमार सिन्हा
क्षेत्र प्रमुख वाराणसी

संगठन कार्यालय में अतिथि पंजिका में
शुभकामना संदेश लिखते
श्री ताता वेंकट वेणुगोपाल
एवं
श्री विकास कुमार सिन्हा

कार्यक्रम में सम्मिलित पदाधिकारी एवं सदस्यगण

अतिथियों द्वारा संगठन पुस्तकालय का अवलोकन

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिपीकीय संवर्ग से अधिकारी सवर्ग की विभागीय प्रोन्नति परीक्षा से पूर्व 5 दिवसीय ओटीपी पूरे देश भर में आयोजित किए गए। कुछ चित्र :

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डीआईटी में महाप्रबंधक श्री कांदासामी जी एवं मानव संसाधन विभाग में सहायक महाप्रबंधक मैडम 31 मई 2019 को सेवानिवृत हुए। संगठन के अध्यक्ष श्री जी0 करूणानिधि ने इस अवसर पर उन्हें संगठन की ओर से विदाई दी।

• डॉ. अमृतांशु

वॉइस ऑफ ओबीसी
अन्य पिछड़े वर्गों की समसामयिक पत्रिका

अंक - 22, मार्च 2019

संपूर्ण संचालन अवैतनिक

(सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन)

संरक्षक
प्रो. एस.एस. कुशवाहा

परामर्श
जी. करुणानिधि, जे. पार्थसारथी
रवीन्द्र राम

प्रकाशक
रानी अमृतांशु

संपादक
अशोक आनंद
9415224153

मानद संपादक
अमृतांशु
9918306777

मानद सह संपादक
विनोद प्रसाद शर्मा
9415889947
विक्रांत कुमार
9918501891

प्रबंधक
अरविन्द कुमार

सहयोग
बसंत आर्य, सुनील कुमार, अशोक कुमार, विजय कुमार, डी.डी. प्रसाद, उमेश कुमार पवन कु.पटेल, उपेन्द्र कुमार पाल, जयशंकर कुमार, मो. जलालुद्दीन, ऋषिकांत प्रसाद, बृज लाल, पंकज कुमार, अशोक यादव

पत्राचार
ई-मेल : aiobc.up@gmail.co
कटरा सं. 77, पी.सी.एफ. प्लाजा
नदेसर, वाराणसी-221002
इस अंक सहयोग राशि : 20 रुपये
डाक खर्च के साथ वार्षिक सहयोग 60/- डीडी/चेक
"Voice of OBC" के नाम वाराणसी में देय भेजें।

प्रकाशित रचनाओं से संपादन मंडल की वैचारिक सहमति आवश्यक नहीं।

प्रकाशित लेखों संदर्भों के पुर्नप्रकाशन से पूर्व अनुमति ले।

समस्त वाद विवादों का निपटारा वाराणसी न्यायालय में मान्य।

मुद्रक
प्रतीक प्रिंटर्स, वाराणसी। मो.: 9415623047

भारत सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

भारतीय संविधान के आर्टिकल 340 के प्रावधान अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन मंडल कमीशन आदेश के समय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर सन् 1993 में हुआ।

भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है कि भारत के शैक्षणिक एवं सामाजक रूप से पिछड़े लोगों की जानकारी इकट्ठे करने एवं अध्ययन करने एवं उनकी दशा में सुधार के लिए भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकते हैं।

पिछड़े वर्गों की समस्याओं एवं विकास के अध्ययन जैसे विषयों को लेकर वर्ष 1953 में तत्कालीन भारत सरकार ने श्री काका कालेलकर कमीशन बनाया। कमीशन की रिपोर्ट कतिपय करणों से संसद में पेश तक नहीं की जा सकी एवं कमीशन द्वारा किया गया एक विराट अध्ययन नष्ट हो गया।

एक बार फिर वर्ष 1979 में तत्कालीन भारत सरकार ने श्री बी0पी0 मण्डल की अध्यक्षता में मण्डल कमीशन का गठन किया। कई परिस्थितिजन्य दबाव और कालजयी विचारकों एवं राजनेताओं की दूरदृष्टि ने तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को सहमत किया कि मण्डल कमीशन संसद में पेश हो सके। कालान्तर में संसद द्वारा इस विधेयक को पास करने, सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल किए जाने और पूरे देश में विधेयक के पक्ष एवं विपक्ष में अप्रत्याशित आक्रोश, प्रदर्शन आदि कई उतार-चढ़ाव के पश्चात देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 8 सितम्बर 1993 को सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया गया।

अब हम आते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन पर। आजादी के बाद से सन् 1993 तक भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बन सका था। सन् 1992 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल कमीशन अर्थात इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ पर फैसला देते हुए पिछड़े वर्गो के लिए ट्रिब्यूनल या आयोग बनाने का निर्देश दिया। गठित आयोग को अन्य पिछड़े वर्गो के अन्तर्गत जाति/जातियों को शामिल करने या बाहर करने का अधिकार आयोग को मिल गया। आयोग को यह भी अधिकार दिया गया कि अन्य पिछड़े वर्गों से जुड़ी समस्याओं को सुन सके एवं जाँच कर सके।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी राज्य सरकारों केन्द्र सरकार एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में अपने-अपने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का आदेश मिल गया।

तत्पश्चात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और तभी से यह व्यवस्था चली आ रही है।

यह रही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की वैधानिक स्थिति। अभी तक इस आयोग को संवैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं हो पायी थी जैसा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति आयोग को थी पिछले कई वर्षों से पिछड़े वर्गों के कर्मचारी कल्याण महासंघ **(AIOBC)** ने भारत सरकार के

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से मिलकर आयोग को संवैधानिक शक्ति सम्पन्न बनाने की मांग करता रहा है। महासंघ कई वर्षों से विभिन्न दलों के माननीय सांसदों से मिलकर आयोग को शक्ति सम्पन्न बनाने के लिए संसद में मुद्दे को उठाने की सिफारिश करता रहा है। इस मांग के पीछे निम्नांकित कारण हैं-

- भारत के विभिन्न सेक्टरों की नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व संतोषजनक नहीं है।
- केन्द्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 2012 के एक आंकड़े के अनुसार ओबीसी के पास 15 प्रतिशत से भी कम नौकरियां हैं।
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बन जाने के बाद भी इस वर्ग को सामाजिक न्याय नहीं मिल पाया है।
- अब तक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अथवा राज्य पिछड़ा आयोग महज प्रतीकात्मक थे। इन संस्थाओं के पास कोई न्यायिक शक्तियां प्राप्त नहीं थी।
- परिणामतः अन्य पिछड़े वर्गों की शिकायतों पर गम्भीरता पूर्वक चर्चा नहीं हो पाती थी।
- संविधान की धारा 338 एवं 338 ए के अनुसार जब अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आयोगों को संवैधानिक दर्जा मिल गया है तब अन्य पिछड़े वर्गों के आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए था।

सन् 2017 में भारत सरकार के हस्तक्षेप पर 123वें संविधान संशोधन का विधेयक लाया गया जिसे संसद की दोनों सदनों ने पारित किया। फलस्वरूप संविधान में अनुच्छेद **338 बी** जोड़ा गया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को इस संविधान संशोधन के साथ ही न्यायिक शक्तियां प्राप्त हो गयी। **नये संवैधानिक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रूपरेखा शक्तियां निम्न प्रकार हैं-**

- ✦ आयोग में एक चेयरमैन एक वाइस-चेयरमैन एवं तीन सदस्य होगें। तीन सदस्यों में एक सदस्य महिला प्रतिनिधि होगी।
- ✦ आयोग के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां होगीं।
- ✦ जिस किसी पर भी इस कानून के उल्लंघन का आरोप लगेगा, आयोग किसी भी उस व्यक्ति से पूछताछ और उसे समन जारी कर सकता है।
- ✦ आयोग किसी भी दस्तावेज को पेश करने का एवं हलफनामे के जरिए सबूत पेश करने का आदेश दे सकता है।
- ✦ आयोग यह भी देखेगा कि अन्य पिछड़े वर्गों को संविधान और अन्य कानूनों के जरिए जो सुरक्षा उपाय प्राप्त है उसका कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा है।

वर्तमान संवैधानिक अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के माननीय नामित पदाधिकारी निम्न है-

अध्यक्ष	**श्री भगवान लाल साहनी**	कार्यालय पताः राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार त्रिकुट-1, भिखाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110066 official web site : ncbc.nic.in, Phone : 011-26183152 ईमेल आई-डी : secy-ncbc@nic.in, Phone : 011-26183190
उपाध्यक्ष	**डॉ0 लोकेश कुमार प्रजापति**	
सदस्य	श्रीमती सुधा यादव	
सदस्य	श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल	
सदस्य	श्री तलोजु अचारी	
सचिव	श्री अजोय कुमार	

मित्रों से आग्रह है कि लोकहित में ही आयोग की शक्तियों की सेवाएं ली जाए।

Blog : signpost2.blogspot.com
E-mail : aiobc.up@gmail.com

नेल्सन मंडेला

• रागिनी श्रीवास्तव

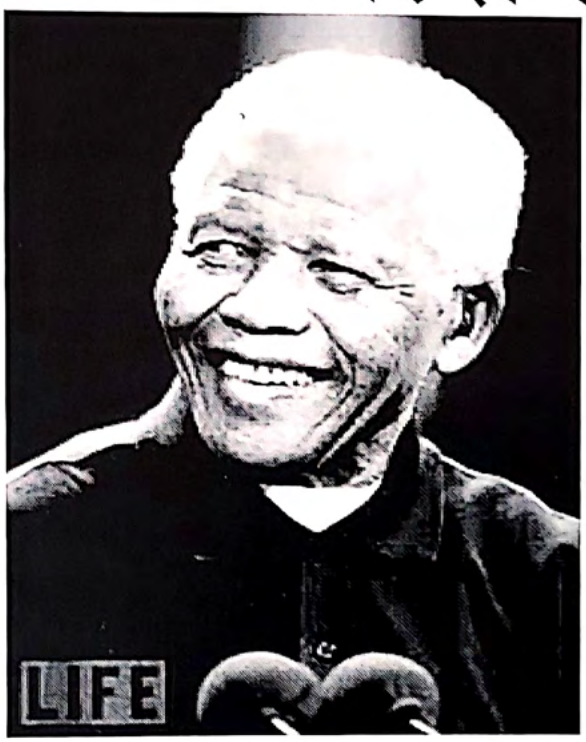

समाज, देश और दुनिया में यदि कुछ अस्वाभाविक हो रहा है, उसे एक मूक दर्शक की तरह सहते चले जाना कायरों का काम है, गरीबी-अमीरी, अल्प संख्यक-बहुसंख्यक तथा श्वेत-अश्वेत की नीतियों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक आंधी सी पूरी दुनिया में आई। मानवता बहुत दिनों तक अमानवीय व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकी। महात्मा गांधी ने पूरे विश्व को यह प्रेरणा दी कि रंगभेद नीति से विश्व का कल्याण नहीं हो पाएगा। समाज का एक हिस्सा यदि टूटकर बिखर जाएगा तो प्रगति, विकास अधूरा ही रहेगा।

इतिहास गवाह है कि दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ आंदोलन चलाया। 18 जुलाई, 1918 में नेल्सन रोहिल्हाला मंडेला का जन्म हुआ। उनके पिता गेडला हेनरी ग्राम प्रधान थे। नेल्सन का परिवार क्षेत्र का शाही परिवार था। यूरोप द्वारा इस क्षेत्र पर शासन होते ही रंगभेद और अत्याचारों का सिलसिला चल पड़ा। अभी नेल्सन मंडेला 12 वर्ष के ही हुए थे कि पिता का साया सर से उठ गया। वे 13 भाई बहन थे। श्री मंडेला ने क्लार्कबेरी मिशनरी स्कूल में किसी तरह पढ़ाई की किंतु उन्हें हर रोज यह याद दिलाया जाता कि वे अश्वेत हैं अतः उनको यह काम नहीं दिया जा सकता। उनके भीतर का मानव कुछ करना चाहता था, आगे बढ़कर अपने नेतृत्व की छाप छोड़ना चाहता था लेकिन शिक्षा के दौरान नेल्सन को यह अंदाजा करा दिया गया था कि वे यदि अपने आप को श्रेष्ठ समझेंगे तो उन्हें जेल भेजा जा सकता है। उनके मन के भीतर असंतोष बढ़ता ही जा रहा था।

हेल्डटाउन के अश्वेतों के कालेज में नेल्सन का संपर्क ओलिवर टॉम्बो से हुआ तथा दोनों मिलकर अपनी गतिविधियों को साकार रूप देने लगे तथा उन्हें प्रसिद्धि भी मिलने लगी। कॉलेज प्रशासन को यह सहन नहीं हुआ और उन्हें कॉलेज के बाहर निकाल दिया गया।

नेल्सन मंडेला जोहानसबर्ग आ गए और कुछ करने की चाह में जुट गए। उन्होंने एक सोने की खान में चौकीदार की नौकरी की लेकिन उनका अन्तर्द्वन्द्व रूकने का नाम नहीं ले रहा था। भीतर की आग रह रह कर भड़क उठती थी, आखिर उनका कसूर क्या है? वे सम्मान से जीवनयापन करना चाहते थे। कदम कदम पर अपमानित होना उनके वश के बाहर था। अपने मन के भीतर उठ रहे बवंडर को और लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की सदस्यता ली। 1947 में वे इस कांग्रेस के सचिव चुन लिये गए। अपने विचारों को सशक्त रूप देने के लिए उन्होंने कानून की शिक्षा लेना प्रारंभ किया किंतु वैचरिक क्रांति के कार्य में व्यस्त होने के कारण परीक्षा में असफल रहे।

1951 में नेल्सन मंडेला को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अश्वेतों को उनका हक दिलाने के लिए उन्होंने 1952 में एक कानूनी फर्म बनाई। यह अपने प्रकार की पहली फर्म थी तथा लोकप्रियता हासिल कर रही थी। सरकार नेल्सन मंडेला की लोकप्रियता से नाखुश थी अतः उन्हें वर्गभेद के आरोप में जाहानसबर्ग से बाहर भेज दिया तथा किसी भी बैठक में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया।

एक क्रांतिकारी जो महात्मा गांधी के विचारों से पूर्णतया प्रभावित थे

आखिर कैसे चुप बैठ सकते थे। भूमिगत रहते हुए उन्होंने क्लिपटाउन पहुंचकर अश्वेतों के अलग-अलग समूहों में काम करना शुरू कर दिया तथा उनकी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की आवाज भीतर भीतर मजबूत होने लगी। रंगभेद के खिलाफ आंदोलन साफ नजर आने लगा। सरकार बौखलाई हुई थी। उन्होंने पूरे देश से 156 नेताओं को 5.12.1956 को गिरफ्तार कर लिया। उनपर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। मुकदमा चला और 1961 में नेल्सन और उनके 25 साथियों को निर्दोष साबित करते हुए रिहा कर दिया।

1952-1959 के बीच एक ओर सरकार एक दमनचक्र तो दूसरी ओर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और नेल्सन का जनाधार बढ़ता गया। सरकार ने कुछ ऐसे कठोर कानून बनाए जो अश्वेतों को पसंद नहीं आए। आंदोलन दिन-ब-दिन भयावह रूप ले रहा था। सरकारी कानूनों के विरोध में नेल्सन के नेतृत्व में प्रदर्शन किये गए। दक्षिण अफ्रीकी पुलिस ने गोलियों से प्रदर्शनकारियों का कलेजा छलनी कर दिया।

नेल्सन ने एएनसी का नेतृत्व किया और अध्यक्ष बनकर नई राह अपनाई। जोश वही, लक्ष्य वही किंतु रास्ता नया था। उन्होंने अश्वेतों के लिए न्याय और सम्मान की गुहार लगाई। सरकार ने उनके इस दल पर भी प्रतिबंध लगा दिया। पूरी दुनिया सरकार के अमानवीय निर्णयों से हैरान थी। नेल्सन को देश के बाहर भेज दिया गया। उन्होंने वहाँ भी अपनी जंग जारी रखी और अदीस अबाबा में अफ्रीकी नेशनलिस्ट लीडर्स कांग्रेस को संबोधित किया। अल्जीरिया होते हुए वे लंदन गए और विपक्षी दलों से मुलाकात कर पूरी दुनिया को अपने विश्वासमत में लेने का प्रयास किया।

दक्षिण अफ्रीका आते ही उन्हें गिरफ्तार कर पांच साल की सजा सुनाई गई। आरोप लगाया गया कि वे अवैधानिक रूप से देश के बाहर गए थे। उनके कार्यालय को तोड़-फोड़ कर उन पर देश के खिलाफ लड़ने का आरोप लगाते हुए उम्र कैद की सजा दी गयी। जेल जाने से पहले नेल्सन ने आंदोलन के समय कहा-

"मैंने अपना पूरा जीवन अफ्रीकी लोगों के संघर्ष में लगाया है। मैं श्वेत रंगभेद के खिलाफ खड़ा हूँ और मैं अश्वेत रंगभेद के खिलाफ भी लड़ा हूँ। मैंने हमेशा एक मुक्त और लोकतांत्रिक समाज का सपना देखा है जहाँ सभी लोग एक साथ पूरे सम्मान, प्रेम और समान अवसर के साथ जीवन यापन कर पांएगे। यही वह आदर्श है जो मेरे लिए जीवन की आशा बनी और मैं इसी को पाने के लिए जिंदा हूँ और अगर कहीं जरूरत है कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मरना है तो मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ।"

अदालत में उपस्थित सभी लोग नेल्सन का मन ही मन समर्थन कर रहे थे। जेल में कई उतार चढ़ाव आए। नेल्सन का स्वास्थ्य बिगड़ा। 1989 में जब दक्षिण अफ्रीका में सत्ता परिवर्तन हुआ तब अश्वेतों पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटा लिए गए। 11 जनवरी 1990 को नेल्सन पूरी तरह आजाद हो गए।

अश्वेतों को उनका अधिकार दिलाने के लिए नेल्सन मंडेला ने कनवेंशन फॉर ए डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका (कोडसा) का गठन किया जो देश के संविधान में परिवर्तन करने में समर्थ राही। डी क्लार्क और नेल्सन मंडेला के इस महान कार्य के लिए 1993 में उन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया।

दक्षिण अफ्रीका में 1994 में चुनाव समभाव सदभाव से संपन्न हुए। 10 मई 1994 को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की 60 प्रतिशत वोट मिले। पूरी दुनिया नेल्सन मंडेला के समर्थन में थी। अपने लक्ष्य को पाकर **नेल्सन मंडेला ने कहा, 'हम अपने आप से वायदा करें कि हम अपने सभी लोगों को गरीबी से, कठिनाइयों से, कष्टों से, लिंगभेद से और किसी भी प्रकार के शोषण से आजादी देंगे और जब कभी भी इस खूबसूरत धरती पर एक दूसरे के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा।"**

कौन जानता था कि एक चौकीदार की नौकरी करने वाला बाद में चलकर इस देश का राष्ट्रपति बनेगा। नस्लभेद के खिलाफ अपना पूरा जीवन समर्पित कर नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति का गौरव हासिल किया। उन्होंने पूरी दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। न्याय और लोकतंत्र के लिए उनका संकल्प उन्हें विश्व में अद्वितीय बनाता है।

भेदभाव जहाँ भी होता है, जिस रूप में भी होता है, मानवता के लिए असहनीय होता है, आत्मा को कचोटता है, पीढ़ियां नेल्सन मंडेला जैसे संघर्षशील महान व्यक्ति के सामने सदैव नतमस्तक रहेंगी तथा मानवाधिकारों की रक्षा के लिए मनसा वाचा कर्मणा से तत्पर रहेंगी।

रागिनी श्रीवास्तव
वरिष्ठ प्रबंधक (से.नि.)
(राजभाषा)
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

• अशोक आनंद

नेल्सन मंडेला का जेल जीवन

दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेला ने रंगभेद विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर संघर्ष कर दुनिया के सामने एक अद्‌भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। 1944 में अफ्रीका नेशनल कांग्रेस में शामिल होने के बाद लगातार नस्लवाद के खिलाफ लड़ते रहे और राजद्रोह के आरोप में 1962 में गिरफ्तार कर लिये गये। उम्र कैद की सजा सुनाकर इन्हें रॉबेन द्वीप भेज दिया गया। किन्तु इस सजा से भी इनका उत्साह कम नहीं हुआ। इन्होंने जेल में अश्वेत कैदियों को भी लामबन्द करना शुरू कर दिया।

जीवन के 27 वर्ष कारागार में बिताने के बाद अन्ततः 11 फरवरी 1990 को रिहाई हुई। प्रस्तुत लेख विश्व शान्ति के लिए नोबेल पुस्कार से नवाज़े गये श्री मण्डेला के जीवन की दास्तान है, जो उनकी आत्मकथा "लांग वाक टू फ्रीडम" के जेल प्रसंगों पर आधारित है। श्री मण्डेला के शब्दों में :

''प्राधिकारीगणों द्वारा रॉबेन द्वीप स्थिति जेल में सजा काट रहे कैदियों का वर्गीकरण ए, बी, सी, व डी, चार श्रेणियों में किया गया था। **ए** सबसे श्रेष्ठ जिन्हें ज्यादा सुविधायें दी गयी थी और **डी** सबसे नीचे जिन्हें सुविधाओं से वंचित रखा गया था। जेल लाने के समय सभी राजनीतिक कैदियों को **डी** वर्ग मिलता था। सामान्य तौर पर किसी राजनैतिक कैदी को **डी** श्रेणी से **सी** में पहुँचने के लिए वर्षों लग जाते थे। इस विभेद से हमें घिन आती थी। यह भ्रष्ट और नीचा दिखाने वाली थी। सामान्य और राजनीतिक कैदियों के नियंत्रण और शमन का यह एक तरीका था। हमने इसकी आलोचना की सभी राजनीतिक कैदियों को एक ही कटेगरी मिले, यही हमारी मांग थी। इसे नकारा नहीं जा सकता कि यह वर्गीकरण की व्यवस्था कैदी जीवन की एक दृढ़ और अमानवीय व्यवस्था का रूप था। यदि कोई **डी** ग्रुप कैदी की हैसियत से विरोध करता तो वह छः माह में केवल एक पत्र प्राप्त कर सकता था, प्राधिकारी वर्ग उससे कहते, "अपने व्यवहार को सुधारो और **सी** ग्रुप के कैदी वन जाओ, तव तुम छः महीने में दो पत्र पाने लायक बन जाओगे"।

यह वर्गीकरण सजा की अवधि के समानान्तर चलता था। यदि किसी को आठ साल की सजा भुगतनी होती थी, उसे पहले दो वर्षों तक **डी** श्रेणी में रखा जाता था, अगले दो वर्षों तक **सी** और आगामी दो वर्षों तक **बी** एवं आखिरी दो वर्षों में **ए** श्रेणी दी जाती थी। लेकिन जेल के अधिकारी इस वर्गीकरण व्यवस्था को राजनीतिक कैदियों के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे। कठिन मेहनत से प्राप्त की गयी उनकी श्रेणी कम करने की धमकी से उनके व्यवहार को वे नियंत्रित करते थे। यद्यपि कि रॉबेन द्वीप लाये जाने के पूर्व मैं जेल में दो वर्षों की कैद काट चुका था, फिर भी जब मैं यहां आया तो मुझे **डी** ग्रुप ही मिला। मैंने अपने व्यवहार से समझौता नहीं किया। ऊपर की श्रेणी में जाने का सबसे तीव्र रास्ता था अधीनता स्वीकार करना और कोई शिकायत नहीं करना। जेल रक्षक कहते, "यू आर ए ट्रबल मेकर, तुम्हें ताउम्र **डी** ग्रुप में रहना है"। **डी** ग्रुप कैदी होने के नाते मैं हर छः महीने में केवल एक पत्र और एक मुलाकाती के लिए ही हकदार था। **मैंने इसे जेल व्यवस्था की सबसे अमानवीय बंदिश पाया।** अपने परिवार से पत्र व्यवहार व संदेश माध्यमों से सम्पर्क रखना हमारा मानव अधिकार है। इसे बनावटी नियमों से नहीं रोका जाना चाहिए। किन्तु जेल जीवन की यही असलियत थी। एक सुबह मुझे मुलाकाती कक्ष में बुलाया गया। मैं कमरे के एक किनारे बैठ गया, उत्सुकता से इंतजार करने लगा। मैंने ग्लास की दूसरी तरफ विनी मण्डेला के मनोहारी चेहरे को देखा। विनी हमेशा सुन्दर वस्त्रों में जेल विजिट के लिए आती थीं। यह बहुत ही कुण्ठित कर देने वाली बात थी कि मैं अपनी पत्नी को स्पर्श नहीं कर सकता था, उसके बगल में बैठकर बात-चीत नहीं कर सकता था, प्यार भरी नाजुक बातें नहीं कर सकता था, अंतरंग बातों व निजी क्षणों के लिए हमें अनुमति नहीं थी। हमें अपने सम्बन्धों को दूर से कायम करना होता था, उन लोगों के नाक के नीचे जिन्हें हम पसन्द नहीं करते थे। बाद के दिनों में मैंने पाया कि चाइल्ड वेल्फेयर ऑफिस से मेरी पत्नी को कार्यमुक्त कर दिया गया। पुलिस द्वारा उनके कार्यालय पर छापा मारा गया और उन्हें भला-बुरा कहा गया। प्राधिकारियों को यह विश्वास था कि गुप्त तरीके से वह मुझ तक सूचनाएं पहुँचाती हैं। सामाजिक कार्यकर्त्री

के रूप में वह अपने काम को बहुत पसंद करती थीं। पत्नी पर इस तरह की रोक और उनकी पीड़ा ने मुझे परेशान कर दिया। मैं उनकी और बच्चों की देखभाल नहीं कर सका। सत्ता में बैठे लोगों ने उनका जीवन दूभर कर दिया था। खुद की देखभाल करना उनके लिए कठिन हो गया था। मेरी बेबसी एवं शक्तिहीनता ने मुझे बहुत कष्ट दिया।

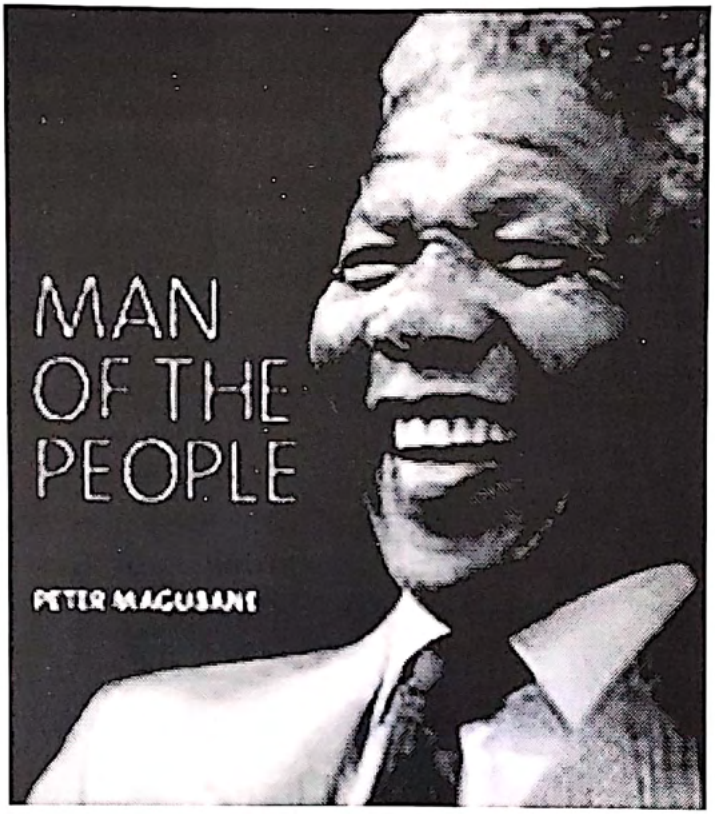

जिस कोठरी में हमें रखा गया था उसे तीन कदमों में नापा जा सकता था। वह छः फीट चौड़ी थी और खड़े होकर चलने पर सिर छत से टकराता था। कोठरी की दीवारें दो फीट मोटी बनायी गयीं थीं। उन पर लोहे की ग्रिल का एक दरवाजा था और लकड़ी का एक अतिरिक्त दरवाजा भी था। रात्रि में पहरेदार लकड़ी का दरवाजा भी बन्द कर देते थे। जेल में राजनीतिक कैदियों को सामान्य अपराधियों की तरह पत्थर तोड़ने के काम पर लगाया जाता था। पहरेदार सब पर सख्त नज़र रखते थे कि कैदी अपना काम पूरी मुस्तैदी के साथ करें, भले ही कड़ी धूप हो। अफ्रीकी और भारतीय कैदियों के भोजन में भी भेद-भाव बरता जाता था। हमने इस भेदभाव का भी कड़ा विरोध किया। दिनभर तो कैदियों को बातें करने की मनाही थी, लेकिन शाम को काम से छुट्टी पाने के बाद वे बातचीत कर सकते थे। इस समय का उपयोग हम राजनीतिक वार्तालाप के लिए करते और गुप्त सूत्रों से आयी खबरों के आधार पर स्थिति की समीक्षा करते।

1960 के दशक के दिन बहुत खराब गुजरे। जेल अधिकारियों ने दुखद घटनाओं में शरीक होने की इजाजत नहीं दी। मेरी मां का देहान्त हो गया था। अन्त्येष्टि में शामिल होने के लिए अनुमति नहीं दी गयी। इसके बाद बड़े बेटे का दुर्घटना में निधन हो गया, इस बार भी अन्तिम क्रिया में भाग लेने की इजाजत नहीं दी गयी।

जनवरी 1965 में हमें चूने की खान में काम करने के लिए ले जाया गया। यह रोवेन आइलैण्ड के बीचो-बीच था। चूने की खुदाई का काम आसान नहीं होता। इसे पहले गेंती से परत-दर-परत तोड़ना होता था और उसके बाद बेल्चे से निकालना होता था। कड़ी मशक्कत की वजह से हाथों में छाले पड़ गये थे और खून भी निकल आया था। इस बात की तसल्ली थी कि बाहर की प्रकृति के दर्शन हो रहे थे। मेहनत से भी ज्यादा तकलीफ थी कड़ी धूप, जिसमें सब पसीने से नहा जाते थे। इससे भी कष्टप्रद थी उसकी चौंध, जिसका आँखों पर बुरा असर पड़ता था।

कैदियों पर जो बहुत से प्रतिबन्ध लगे हुए थे, उनमें एक समाचार पत्र पढ़ना भी था। यह घोर अपराध माना जाता था। अखबार बरामद होने पर कड़ी सजा मिलती थी। एक दिन मुझे एक जगह पर पड़ा अखबार दिख गया। अपनी कमीज के नीचे छिपा कोठरी में आकर पढ़ने लगा। रंगे हाथों पकड़ा गया। तीन दिन तक एकान्त में रहने और खाना न मिलने की सजा मिली। इन्हीं दिनों मैंने अपनी आत्मकथा कागज के छोटे-छोटे टुकड़ों पर लिखने की शुरूआत की, जो चोरी छिपे जेल के बाहर ले जाये जाते थे।''

मंडेला साहब इतिहास पुरूष बन चुके हैं। समता, समानता व मानवाधिकार की लड़ाई लड़ने वाले सामाजिक योद्धाओं के आदर्श तो है ही, हम सब पिछड़े, दलितों, शोषितों के युगों-युगों तक प्रेरणा स्रोत रहेंगे। वे मानवाधिकार व सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले योद्धाओं की लम्बी पंक्ति में हमें आगे खड़े दिखाई देते हैं। आइये व्रत लें, हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, जब तक हम अपने मानव-मानव के बीच विभेद की दीवार ढहा नहीं लेते।

अशोक आनन्द
E-mail:-upasakashokanand@gmail.com
www.merisrijanyatra.blogspot.com

सामाजिक न्याय आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

-डॉ अमृतांशु, डा. हेमन्त कुमार
एवं रवीन्द्र राम

1871 मद्रास की जनगणना में ये तथ्य सामने आए कि गैर ब्राम्हण हिन्दू और मुसलमान राजनैतिक पटल से हटा दिए गए थे।

1881 सामाजिक रुप से पिछड़ों के लिए विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया गया।

1882 इस वर्ष शिक्षा को पिछड़ेपन का आधार बनाया गया।

1883 भारतीय शिक्षा आयोग ने कहा कि व्यावहारिक रुप से सामान्य लोगों की शिक्षा की असुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

1885 मद्रास में शिक्षा के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता की शुरुआत की गई।

1893 मद्रास सरकार ने 49 विभिन्न जातियों की शिक्षा के लिए विशेष सुविधा प्रदान की।

1902 जुलाई 26 को छत्रपति साहूजी महाराज ने अपने राज्य में गैर ब्राम्हणों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की।

1918 पिछड़े वर्गों पर आयोग की रिपोर्ट पर मैसूर सरकार ने शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की।

1920 साहू जी महाराज ने अपने राज्य में आरक्षण 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया।

1927 मद्रास में सरकारी नौकरियों में जाति को भर्ती प्रक्रिया में मूल आधार बनाया गया। जिसके अंतर्गत 12 रिक्तियों में 2 ब्राम्हण, 5 गैर ब्राम्हण हिन्दु, 2 मुस्लिम, 2 एंग्लो इंडियन एवं 1 एससी की नियुक्ति की गई।

1928 मुम्बई सरकार द्वारा बनाए गए आयोग ने निम्नलिखित वग्रीकरण किए।

1 शोषित वर्ग (Depressed Classes) 2 मूल एवं पहाड़ी जनजातियां (Original and Hill Tribes) 3 अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes)

1931 डा0 भीम राव अंबेडकर की मांग पर शोषित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दी गई। परंतु 24 सितम्बर 1932 को इसके खिलाफ आमरण अनशन आरम्भ किया जिसके उपरांत हिन्दू नेताओं एवं दलितों के बीच समझौता हुआ जिसे इतिहास पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है।

1943 डा0 भीम राव अंबेडकर द्वारा वायसराय को ज्ञापन दिए जाने के बाद अनुसूचित जातियों को 8.33 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा दी गई।

1944 शिक्षा विभाग ने अनुसूचित जातियों के लिए छात्रवृति की धोषणा की।

1946 अनुसूचित जातियों का आरक्षण 8.33 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.33 प्रतिशत कर दिया गया।

1946-48 अनुसूचित जातियों का आरक्षण 16.66 प्रतिशत कर दिया गया।

1949 नवम्बर 26, भारत सरकार ने संविधान स्वीकार किया। जिसमें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण के सिद्धांत थे। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्ग आयोग के गठन का निर्देश पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लागू करने के लिए दिए गए।

1950 भारतीय संविधान में पहला संशोधन अनुच्छेद 340 में हुआ। जिससे ओबीसी को आरक्षण का अधिकार मिला।

1951 नवम्बर 27, को डा0 भीमराव अंबेडकर ने पंडित नेहरु मंत्रीमंडल से त्यागपत्र दे दिया। जिसके कई कारणों में से एक अनुच्छेद 340 पर कार्य करने में अत्यधिक विलम्ब होना भी था।

1953 जनवरी 29, भारत सरकार ने काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। कालेलकर आयोग ने 2399 जातियों का चयन पिछड़ी जातियों के रुप में किया।

1955 मार्च 30, आयोग के अध्यक्ष श्री काका कालेलकर ने भारत सरकार को एक पृथक पत्र लिखकर काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों को न मानने के लिए आग्रह किया। इनका मानना था कि आरक्षण समाज के हित में नहीं है। परिणामतः भारत सरकार ने आयोग की सिफारिशों को पूर्णतः खारिज कर दिया।

1979 प्रधानमंत्री मोरार जी देसाई ने जनता पार्टी के शासन में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संसद सदस्य श्री वी0 पी0 मंडल की अध्यक्षता में किया। मंडल कमीशन ने 3743 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्गो के अंतर्गत चिन्हित किया। इनकी संख्या समाज में 52 प्रतिशत आंकी गई और सरकार से नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की ।

1980 दिसम्बर, आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी।

1982 मंडल आयोग की सिफारिशें संसद में लाई गई। जिसका सभी राजनैतिक दलों ने समर्थन किया।

1990 अगस्त 7, प्रधानमंत्री वी0 पी0 सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा संसद में की और कहा : "इस वैभवपूर्ण सदन में सामाजिक न्याय के एक महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा करते हुए आज मैं प्रसन्न हूँ, जिसे मेरी सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर समाजिक एवं शैक्षणिक रुप से पिछड़े वर्गो के लिए लिया है।"

"माननीय सदस्यों आप जानतें है, 40 साल पहले संविधान स्वीकार करते समय आर्टिकल 340(1), 15(4) और 16(4) के संदर्भ में यह सोचा गया था कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रुप से पिछड़े वर्गों की पहचान की जाएगी, उनकी तकलीफें दूर होगी एवं उनकी दशा में सुधार किया जाएगा। यह हमारे संविधान के मूल स्वरुप के प्रति नकार है कि आज तक उनकी ये जरुरते पूरी नहीं हो पायी।"

1990 अगस्त 13, को ऑफिस मेमोरेण्डम Om No. 36012/31/90-Est (SCT) से प्रभावी किया गया। इस घोषणा से पूरे देश भर में मिश्रित प्रतिक्रियाएं आयी। सर्वोच्च न्यायालाय में याचिकाएं दाखिल की गई।

1990 नवम्बर 7, सर्वोच्च न्यायालय ने आयोग की सिफारिशों के अमल पर रोक लगा दी एवं मामले को 9 सदस्यी संवीधान पीठ को सौंप दिया गया।

1990 नवम्बर 16, सर्वोच्च न्यायालय के 9 सदस्यीय पीठ ने क्रीमीलेयर आवधारणा के साथ जातिआधारित 27 प्रतिशत आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों को मान्य घोषित किया।

पैरा 225, संवीधान पीठ के एक सदस्य जस्टिस पांडियन ने क्रीमीलेयर अवधारणा का विरोध किया।

1993 सितम्बर 8, Om No. 36012/22/93-Est (SCT) द्वारा ने क्रीमीलेयर अवधारणा के साथ आरक्षण को केन्द्र सरकार की सीधी भर्तियों में लागू किया गया।

2005 दिसम्बर 21, यूपीए सरकार ने 93वॉ संविधान संशोधन कर अनुच्छेद 15 में पैरा 15(5) जोड़ा जिसके अंतर्गत SC/ST & OBC को गैर सरकारी स्ववित्तपोशित शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को मान्यता दी। परन्तु यह आरक्षण अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए नहीं था।

2006 जनवरी 20, अनुच्छेद 15(5) को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद लागू किया गया।

2006 अप्रैल 5, मानव संसाधन मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गो के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था हेतु विचार कर रही है।

2006 अप्रैल 26, मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने उच्च शिक्षा में आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन किया।

2006 मई 2, पटना एवं नालंदा मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने विरोध में प्रदर्शन किया।

2006 मई 30, उच्चतम न्यायालय ने हड़ताली डॉक्टरों को चेतावनी दी। किंतु सर्वोच्च न्यायालय की चेतावनी के बावजूद डॉक्टर हड़ताल पर ही रहे।

2006 जुलाई 6, एम्स की 17 सदस्यीय शीर्ष प्रशासकीय संस्था जो कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अबुमणी रामादॉस की अध्यक्षता में थी, में डा0 वेणुगोपालन को हॉस्पिटल की आचार संहिता के उल्लंघन में अपदस्त कर दिया। परिणाम स्वरुप एम्स के डॉक्टरों और संकाय सदस्यों ने निदेशक डा0 पी0 वेणुगोपालन के अपदस्त होने के विरोध में आकस्मिक विभाग समेत हॉस्पिटल की सभी सेवाएं बंद कर दी।

2006 जुलाई 12, महाराष्ट्र में आरक्षण बिल पास। इसके अंतर्गत SC/ST & OBC एवं खानाबदोस जनजातियों को निजी शिक्षण संस्थानों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया।

2006 दिसम्बर 14, लोकसभा में पास (Reservation in Admission) Bill 2006 इसके अन्तर्गत केन्द्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गो के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया। इस बिल को पार्टी लाइन से हटकर सांसदों ने समर्थन किया।

2006 दिसम्बर 15, एम्स के 15 रेजिडेन्ट डॉक्टरों ने शिक्षा बिल 2006 के लोक सभा में पास होने के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठे।

2007 जनवरी 21, दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस आरक्षण को तीन चरणों में लागू करने की योजना बनाई साथ ही कुल सीटों में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की भी बात की ताकि सामान्य छात्रों की भागीदारी पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

2007 फरवरी 11, एम्स के 4 डॉक्टरों ने विशेषिकृत निकायों में 50 प्रतिशत के आरक्षण के विरोध में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। जिसके सन्दर्भ में हाई कोर्ट ने एम्स को निर्देश दिया कि जब तक वाद न्यायलय के अधीन है तब तक आरक्षण के अन्तर्गत चयनित छात्रों को नियुक्ति पत्र न दिए जाए।

2007 मार्च 29, याचिकाओं पर सुनवाई के क्रम में सर्वोच्च न्यायलय के जस्टिस अरिजीत पसायत एवं एल0 पान्टा ने देश के शीर्ष शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के बिल पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि 1931 की जनगणना को आरक्षण का आधार नहीं बनाया जा सकता।

2007 मार्च 30, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एम0 करूणानिधि ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उपराष्ट्रपति भैरवसिंह शेखावत, लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी से दोनों को आहुत करने का निवेदन किया ताकि आगामी शिक्षा सत्र से आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सके।

2007 अप्रैल 24, तमिलनाडु विधानसभा में बहस के दौरान राज्य के सभी राजनैतिक दलों ने सरकार से शीर्ष शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को लागु करने के सन्दर्भ में तत्काल प्रभावी कदम उठाने की जोरदार मांग की और केन्द्र को चेतावनी दी कि ऐसा नहीं होने पर वंचित वर्गो के लोगों का आक्रोश फट सकता है। केन्द्र सरकार को इस स्थिति से बचना चाहिए। आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए रोक पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक या दो व्यक्तियों का 100 करोड़ आबादी के लिए इस तरह का निर्णय प्रजातंत्र के लिए हानिकारक है।

-अनुवाद एवं संकलन
-डॉ अमृतांशु, डा. हेमन्त कुमार एवं रवीन्द्र राम
श्रोत-: इण्टरनेट

नोट : उपरोक्त दी गई जानकारियों को वैधानिक सत्यता एवं कानूनी चुनौती के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

नेल्सन मंडेला की जीवन यात्रा

18 जुलाई 1918 : दक्षिण अफ्रीका के ट्रांस्की क्षेत्र के मैजो गांव में जन्म।
सन् 1920 : मंडेला अपनी माता व बहनों के साथ कुनू में रहने आए।
सन् 1925 : कुनू के स्कूल में प्रवेश।
सन् 1927 : पिता का निधन ।
सन् 1938 : फोर्ड हारे विश्वविद्यालय में प्रवेश।
सन् 1942 : पत्राचार के माध्यम से साउथ अफ्रीका यूनिवर्सिटी से स्नातक।
सन् 1944 : एवलिन मेस से विवाह। ए.एन.सी यूथ लीग के सह संथापक बने।
सन् 1947 : ए.एन.सी.वाई.एल के सचिव बने।
सन् 1950 : ए.एन.सी. के अवज्ञा आंदोलन के वालंटियर इन चीफ बने।
सन् 1957 : एवलिन से तलाक।
सन् 1958 : १४ जून को विनी मदिकजैला से विवाह।
सन् 1958 : राजद्रोह का मुकदमा लगा, पर बरी हुए।
सन् 1961 : ए.एन.सी की सशस्त्र सेना के प्रधान सेनानायक बने।
सन् 1962 : अन्य राष्ट्रों के दौरे के लिए गुप्त रूप से दक्षिण अफ्रीका से निकले। प्रतिबंध का उल्लंघन करने के आरोप में बंदी।
सन् 1964 : रिवोनिया मुकदमा संपूर्ण। आजीवन कारावास।
सन् 1975 : जेल में संस्मरण लिखने आरंभ किए।
सन् 1980 : संयुक्त राष्ट्र संघ की मंडेला को रिहा करने की अपील।
सन् 1989 : राष्ट्रपति बोथा से मुलाकात। रिहाई की वार्ता विफल। नए राष्ट्रपति एफ.डब्ल्यू.डी क्लार्क से मुलाकात।
11 फर.1990 : 27 साल के बाद जेल से रिहा।
सन् 1993 : मंडेला और क्लार्क को संयुक्त रूप से शांति का नोबल पुरस्कार मिला।
सन् 1994 : मंडेला की आत्मकथा प्रकाशित।
10 मई 1994 : वयोवृद्ध राष्ट्रपति बने।
सन् 1996 : विनी मंडेला से तलाक।
सन् 1998 : ग्रेसा मिशेल से विवाह।
सन् 1999 : सक्रिय राजनीति से संन्यास।

साभार-तथ्यभारती

•ईश्वर सिंह दोस्त

10% आरक्षण का मायाजाल

"देश में आरक्षण की राजनीति एक दिलचस्प दौर से गुजर रही है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर बात होती है, जबकि सरकारी नौकरियों में रोजगार के अवसर लगातार घटे हैं। संवैधानिक रूप से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अलावा आर्थिक पिछड़ेपन को आधार बनाकर देश के कई राज्यों में आरक्षण देने की राजनीतिक पार्टियों ने कोशिश की है, लेकिन उन्हें अदालतों में मुंह की खानी पड़ी है। सत्ता पक्ष ओर विपक्ष द्वारा सारा का सारा गणित चुनावी नफा - नुकसान को देखकर ही लगाया गया। इन्ही पहलुओं पर प्रकाश डालता वरिष्ठ पत्रकार का आलेख-"

124वें संविधान संशोधन विधेयक काफी मायावी जान पड़ता है। सवर्णों का एक हिस्सा इसे लेकर खुश है कि चलो आखिरकार उन्हें उसी आरक्षण का वह तोहफा मिला, जिसे वे दूसरों के लिए अब तक मेरिट का हनन व बैसाखी बताते रहें थे। सवाल यह खड़ा होता है कि सरकार की यह कलाबाजी भी क्या नोटबंदी के हश्र का शिकार होगी। नोटबंदी के शुरू में गरीबों व मध्यमवर्गियों का बड़ा हिस्सा खुशियों के सातवें आसमान पर था। उसे लग रहा था कि काले धन वालों की मिट्टी पलीत हो गई। वो तो कई महीनों बाद धीरे-धीरे उन्हें समझ आया कि दरअसल फजीहत तो उनकी हुई थी, जो काले धन वालों की परेशानियों की कल्पना कर आनंद उठा रहे थे। नौकरियां गई, अर्थव्यवस्था मंद हुई, नकदी के लिए मारे-मारे घूमे, मगर काला धन जस का तस रहा। फिर भी लोग इस चक्कर में आए, क्योंकि नोटबंदी ने एक आनंद को रचा था कि देखों पैसे वालों की हालत कैसे पतली होगी। क्या ये कदम भी उन्हीं को ले डूबने वाला है, जिनके पक्ष में इसे उठाया गया है।

जिनको अभी लग रहा है कि सवर्ण समाज का स्वर्ण युग शुरू हो गया है, वे दीवार पर लिखी इबारत नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि अदालती कार्रवाई की बिसात पर चले गये आरक्षण के इस पासे ने सवर्ण के बड़े हिस्से में आनंद पैदा किया है। इस आनंद की जड़ें सवर्ण को खुद को पीड़ित मानने में है। यह वैसा ही है जैसे पुरूष वर्चस्व वाले समाज में पुरूष खुद को बेचारे मानते रहते है। नौकरियों व शैक्षिक अवसरों में अपनी संख्या के अनुपात से काफी ज्यादा जगह घेरने के बावजूद पीड़ित .....मगर सबसे रोचक यह है कि सवर्णों का ही संगठन यूथ फॉर इक्वेलिटी ओवीसी राजनीति करने वाली पीएमके के भी पहले इस संविधान संशोधन विधेयक के खिलाफ कोर्ट पहुँच गया था। जो संगठन मंडल सिफिरिशों के खिलाफ सबसे मुखर था, क्या वह ही इस विधेयक में छिपी हुई भस्मासुरी संभावनाएँ देख पाया है?

अल्पकालिक रूप से सवर्णों के खाते में जो फायदा दिखा रहा है, उसका दीर्घकालीन रूप में बट्टे में बदल जाना लाजिमी है। इसलिए 2019 का चुनाव इस नजरिए से मजेदार होगा कि क्या सवर्ण अपने दूरगामी राजनीतिक हितों को चोट पहुंचाने वालों को ही पुरस्कृत करेंगे.

वैसे भी वह पचास फीसदी तथाकथित जनरल जगह को चालीस और दस के जोड में बदलना है, वह भी आरक्षित होने का ठप्पा लगवाकर। अनारक्षित पूल में से सवर्ण को पहले जितने प्रतिशत सरकारी नौकरी मिल रही थी, अब भी उतनी ही मिलेगी। यह विधयेक सुप्रीम कोर्ट से मंजूर नहीं हो पाए, तब भी इतिहास में यह तो दर्ज होगा ही कि इस आरक्षण के बाद वैसे बंद, हड़ताल और हिंसा नहीं हुए, जैसे मंडल के समय हुये थे। साथ ही आरक्षण के विरोध के सवर्ण तर्कों का खोखलापन ज्यादा जगजाहिर होगा। सवर्णों के लिए जितना एक कदम आगे है, उतना ही दो कदम पीछे है। सवर्ण राजनीति का एक कदम आगे निश्चित ही हुआ है, क्योंकि संविधान में अब तक आरक्षण को सामाजिक न्याय से ही जोड़ा गया था। संविधान की किसी धारा में महज आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, क्योकि आरक्षण सामाजिक भेदभाव को खत्म करने और सामाजिक तौर पर पिछड़े समुदायों का प्रतिनिधित्व दुरूस्त करने के लिए है।

मगर यही विधेयक एक दूसरी संभावना को खोल देता है, जिसे सवर्ण समर्थक संगठन यूथ फॉर इक्वेलिटी ने समझा है। यह संभावना है आरक्षण के पचास फीसदी की सीमा के पास जाने की, जिसका देश की ओबीसी राजनीति अपने संख्या बल के आधार पर देर से इंतजार कर रही है। जो जातियां ओबीसी से अलग अपने सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर कोटा पाना चाहती थी, उन्हें भी पचास प्रतिशत की वैधानिक बंदिश के खुलने से नया जोश मिलेगा। गुर्जरों, जाटों ने आंदोलन की घोषणा भी कर दी है। पाटीदार, मराठा जैसी किसान पेशे की और जातियाँ मैदान में कूद सकती है। जाति जनगणना व जनसंख्या अनुपात के मुताबित आरक्षण की माँग जोर पकड़ सकती है और अब उसे ठंडे बस्ते में रखना किसी भी सरकार के लिए नामुमकिन हो जाएगा।

इसलिए यह विधेयक सवर्ण बबुए के कंधे पर रखी गई ऐसी बंदूक जान पड़ता है, जिसका निशाना तो चुनाव है, मगर बड़ा झटका खुद बबुए को ही लग सकता है। लोकतांत्रिक राजनीति प्रतियोगिता के सिद्धांत पर चलती है। जिसमें से एक पक्ष को ज्यादा लाभ मिलता देख दूसरा पक्ष गोलबंद होने लगते हैं। अब तक सवर्णों की सांस्कृतिक व सामाजिक चौधराहट बनी हुई है। यह इससे भी जाहिर होता है कि आरक्षण लागू होने के इतने साल बाद भी सीटों की तादाद करीब पंद्रह से बीस फीसद से ज्यादा नहीं हो पाई है, भले ही तकनीकी रूप से पचास फीसद हो।

सवर्णों की मुसीबत यह है कि उदारवादी जनतंत्र का एक व्यक्ति-एक वोट का सिद्धांत दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों को संख्यात्मक रूप से प्रभावी होने की अनुमति देता है, जिसका मुकाबला सवर्ण राजनीति तब तक ही कर सकती है, जब तक कि राजनीतिक विमर्श जाति केंद्रित न हो या फिर आरक्षित जातियों के बीच ही टकराव बना रहे। यह संविधान संशोधन पिछड़ी जातियों के राजनीतिकरण को तेज करेंगा। खासतौर पर मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे प्रदेशों में, जहाँ यह अब तक कमजोर हैं। जातियों के बीच गोलबंदियों व कलह और बढ़ेगी क्योंकि यह सरकार आर्थिक मोर्चे खास तौर पर नौकरियों के मामले में नाकाम रही है। जैसे पिछड़ों में अति पिछड़ा व दलितों में महादलित तलाशा गया था, अब अति सामान्य और कम सामान्य की श्रेणियाँ व जातियाँ सामने आयेगीं।

क्या यह सवर्णों का सवर्ण युग है? वह अपने छले जाने के जाल में खुद दिलो जान से शामिल है। इसकी मनोवैज्ञानिक जड़ें जातिगत पूर्वाग्रहों में है। इतना बड़ा प्रहसन देश में इसलिए भी चल पा रहा है कि अर्थव्यवस्था व राजनीति को ऊपर उठाने व समता की भरोसेमंद राह पर जाने की जगह सवर्ण आरक्षण की उस प्रतियोगिता में अब एक खुदा दावेदार बनना चाह रहा है जिसे वह कल तक कोसता आ रहा था।

अपने इतिहास की खोज

अतीत के झरोखे से

• डॉ. अमृतांशु

यदि अपने इतिहास को जानने के प्रयास न किए जाएं, अपने सरोकरों से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं को न जाना जाए, उन्हें ऐतिहासिक दस्तावेज बनाकर मुद्रित रूप में उपलब्ध न किया जाए, उन्हें इतिहास की पुस्तकों के रूप में न संजोया जाए तो यह कहना कठिन नहीं होगा कि ऐसे इतिहास समय के गर्त में खो जाते हैं। ऐसे में ऐतिहासिक घटनाक्रमों की दास्तान धूल की चादर में ढंककर गुम होने लगती है।

यद्यपि इतिहास कभी नष्ट नहीं होता। हजारों साल बाद भी ऐतिहासिक तथ्यों को खोजा और पाया जा सकता है। लेकिन यह खोज हमारे सरोकारों की सघनता पर निर्भर करता है।

हम सभी दो तरह के अध्ययन करते हैं। एकेडेमिक और सामाजिक। एकेडेमिक डिग्रियां हमें हमारे जीविकोपार्जन के लक्ष्य पाने में सहायक होती हैं जब कि सामाजिक चेतनता हमें हमारे सामाजिक पहचान से जुड़े सन्दर्भों को जानने समझने में सहायक होती हैं।

एकेडेमिक शिक्षा भिन्न भिन्न विषयों में दक्षता हासिल कर देश के वैज्ञानिक विकास में अपनी भूमिका अदा करती हैं जब कि सामाजिक अध्ययन एवं शोध, समाज में जीवित रहने वाले मानवीय मूल्यों एवं स्वस्थ समाज की पृष्ठभूमि पर कार्य करने की योग्यता पैदा करता है।

यह निर्विवाद प्रमाणिक तथ्य है कि बिना सामाजिक अध्ययन के, सामाजिक परम्पराओं, विसगंतियों, मानवीय जीवन मूल्यों के प्रति समाज में फैले भेदभावों को जाने बगैर, इन्हें मिटाए बगैर हम एक सफल और पूर्ण राष्ट्र के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते।

इतिहास हमें यह जानने के लिए प्रेरित करता है। सत्य यह भी है कि एक बहुत बड़ा मध्यवर्गीय समुदाय अपने इतिहास के प्रति सदैव बेपरवाह रहा है। आज भी 85 प्रतिशत सम्यक समाज जिसे पिछड़े, दलित एवं अल्पसंख्यकों की जनसंख्या का सही प्रतिशत माने तो वह सामाजिक न्याय के लक्ष्य से कोसों दूर है। विभिन्न विभागों के प्रभावशाली पदों पर इनके प्रतिनिधित्व से वास्तविक अंदाजा लगाया जा सकता है।

साइमन कमीशन वापस जाओ

साइमन कमीशन भारत में ब्रिटिश हुकुमत द्वारा गठित वह आयोग था जिसे भारत में प्रजातांत्रिक मतदान पद्धति लागू करने से पूर्व भारतीय सामाजिक एंव राजनैतिक स्थिति के अध्ययन के लिए 30 मार्च 1927 को गठित किया गया था। यह रोमांचक सत्य है कि जिस वक्त भारत में बड़े पैमाने पर साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, ठीक उसी वक्त डा0 भीम राव अम्बेडकर ने अपने सभी दलित, शूद्र भाइयों को सूचित किया कि वे सभी स्थानों पर साइमन कमीशन का स्वागत करें। एक दुर्लभ पत्र जिसे कानपुर से झामलाल अहेरवाल ने लिखा था, आपके सम्मुख प्रस्तुत है–

Welcome Simon or Parliamentary Commission on Morning 30th November, 1928 at Lucknow

Our benign British Government has deputed a Parliamentary Commission to India which is touring in throughout the provinces and will reach at Lucknow on Morning 30th November, 1928.

We instruct our Achhut Shudra Community – being termed as Depressed Class, that if the community desires to have the full liberty, the rights and claims in the future constitution of India as gentlemen of Higher Classes have proposed and expressed their desirability of co-operation with the Simon Commission, the Achhut community of U.P. must welcome the Commission with hope and certainty that the rights of 7 million of Ahhuts will be sufficiently safeguarded thereby. In order to break legally the terrible laws of Manusmiriti and to break the chain of Slavery we appeal our Community to welcome the Commission and try your best to make the Simon Commission a great success.

JHAMLAL AHERWAR,
President : ADI HINDU SABHA
Proprietor : MONRO LEATHER MARKET
Phulgalli Anwarganj, CAWNPORE

(साभार : पुस्तक–पूना पैक्ट,क्यों,क्या और किसके लिए)

7 अगस्त 1990

भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में पिछड़ों के लिए अविस्मरणीय दिन। इस दिन जब एक ऐतिहासिक फैसले को भारतीय संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा सुनाया गया तब भारतीय समाज में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विकास के नए आयाम की शुरूआत हुई। वह फैसला था – अ0पि0व0 के लिए सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण। उन्हें हम क्रांतिवीज पुरूष कहते हैं। उन्हें हम युग नायक कहतें हैं। वे हैं माननीय वी0पी0सिंह। हम एक बार पुनः उस घोषणा को उन्हीं के शब्दों में यहां प्रस्तुत करते है :

"इस वैभवपूर्ण सदन में सामाजिक न्याय के एक महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा करते हुए आज मैं प्रसन्न हूँ, जिसे मेरी सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए लिया है"

"माननीय सदस्यों **(MPs)** आप जानते हैं, 40 साल पहले संविधान अंगीकार करते समय आर्टिकल 340(1), 15(4) और 16(4) के संदर्भ में यह सोचा गया था कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) की पहचान की जाएगी, उनकी तकलीफें दूर होंगी एवं उनकी दशा में सुधार किया जाएगा। यह हमारे संविधान के मूल स्वरूप के प्रति नकार हैं कि आज तक उनकी ये जरूरतें पूरी नहीं हो पायी"। क्या आप ऐसे अविस्मरणीय दिन को भूलना चाहेगें ?

14 अगस्त 1950

भारतीय सामाजिक वर्ण व्यवस्था को नकारकर पूरी व्यवस्था को झकझोर देने वाला समाज सुधारक ई0 वी0 रामास्वामी पेरियार के आंदोलन के फलस्वरूप पिछड़ों को संविधान की धारा 15(4) के तहत आरक्षण का अधिकार मिला।

26जनवरी 1950। भारत गणतंत्र बन चुका था। संविधान लागू हो चुके थे। उसी समय मद्रास हाईकोर्ट और उसी वर्ष सुप्रीम कोर्ट में अगड़ी जातियों ने अपील की और यह तर्क दिए कि कमजोर वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में दिए जा रहे आरक्षण के प्रावधान को वंद किया जाय। उन्होंने यह भी तर्क दिए कि यह प्रावधान समानता के मौलिक अधिकार की अवहेलना करता है। न्यायालय ने उनके तर्कों को मानते हुए यह घोषणा की कि किसी खास वर्ग को आरक्षण का लाभ देना असंवैधानिक है।

थान्ताई ई0वी0रामासामी पेरियार ने इस फैसले से क्षुब्ध होकर मीटिंग और सभाएं आयोजित की। उन्होंने विरोध प्रदर्शन आरम्भ किए, जो दिनोंदिन विस्तारित होता गया। परिणामतः संविधान का पहला संशोधन 1951 में पास हुआ। और आर्टिकल 15 में उपबंध (4) जोड़ा गया।

" Nothing in this article or in clause (2) of Article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes or citizens or for the Scheduled Classes and Scheduled Tribes."

क्यों नही हम संविधान के प्रथम संशोधन के प्रणेता पेरियार के सम्मान में 14 अगस्त के दिन को उल्लासपूर्वक मनाएं और लोगों को इसकी जानकारी बांटें।

20 अगस्त 1856

" One Caste / One Religion / One God - for Human Mankind" और " Freedom through Knowledge" यह नारायण गुरू का सपना था। नारायण गुरू जिनका केरल के तिरूअंतपुरम में 1850 में आविर्भाव हुआ। वंचित समाज के उन्नायक, प्रखर समाज सुधारक जिन्होंने देश के जाति आधारित सामाजिक संचरना को चुनौती दी। जिन्होंने दलितों, पिछड़ों, वंचितों को जगाया। शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, जाति भी एक हो, धर्म भी एक हो, क्योंकि सबका मार्ग मनुष्य के सुखद जीवन की ओर जाता है।

वे कहते थे कि जाति व्यवस्था, दक्षिण अफ्रिका के रंगभेद से भी अधिक नुकीली है। जाति व्यवस्था अर्थात कुछ जातियां ऐसी जिन्हें अगड़ी जातियां कहा गया और तथाकथित ढेरों अन्य जातियों का समूह जिन्हें पिछड़ी जातियां कहा गया। बड़ी जातियां छोटी जातियों पर शासन के लिए थी। जातियां कार्य के आधार पर निर्मित थी। लेकिन साथ में यह भी तय था कि यदि माता पिता किसी विशेष जाति के अंतर्गत आते हैं तो स्वतः ही आप उसी जाति के हो जाते हैं और आपको उसी जाति के काम करने होते थे। यदि आप निम्न जाति के हैं तो वर्गीकरण के अनुसार आपको वे ही कार्य करने होते थे। साथ ही ढ़ेरों नियम निम्न जातियों के लोगों के लिए बनाए गए थे जिन्हें भी आपको मानना पड़ता था। मसलन – वे स्कूल नहीं जा सकते थे। वे मंदिर नहीं जा सकते थे। उच्च जाति के लोगों को वे छू नहीं सकते थे। वे उच्च जातियों से एक खास दूरी के अंदर नहीं जा सकते थे। यदि इनमें से कोई भी नियम टूटते तो उन्हें कठोरतम दंड दिया जाता। यहां उन दंडों की व्याख्या उचित नहीं है, इतने कठोर होते थे वे दंड।

नारायण गुरू इन सामाजिक कुरीतियों से लड़े। वह अपनी तरह की उनकी अद्भुत शैली थी। श्री नारायण गुरू पर विस्तार से "हमारे धरोहर" स्तम्भ के अंतर्गत विस्तृत सामग्री दी जाएगी। इस माह हम उनकी जयंती मनाएं एवं सकंल्प करें कि जातिगत दुर्भावना को खत्म करेगें। मनसा, वाचा कर्मणा में इस विचारशैली को अपनाएंगें और दूसरों में भी इसे समाहित करेंगें। हम अपने ऐतिहासिक सामाजिक न्याय के साहित्य का अध्ययन अवश्य करें, ताकि स्थितियों का सही आकलन कर सकें।

डॉ. अमृतांशु

ब्लॉग : signpost2.blogspot.com

जातिगत जनगणना का विरोध करने वालों की संख्या बहुत कम है, लेकिन वे बहुत शक्तिशाली हैं और इस देश को चलाते हैं।

दिलीप मंडल के साथ एक साक्षात्कार

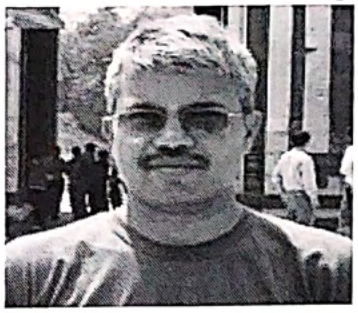

दिलीप मंडल एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। वर्तमान में वे इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नई दिल्ली के साथ जुड़े हैं। वह महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर अखबारों में तथा इंटरनेट पर लगातार लिख रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक पुस्तक **जाति जनगणना : संसद,समाज और मीडिया** संपादित की है। इनसाईट फाउंडेशन के लिए यहां वह जातिगत जनगणना के मुद्दे पर **गुरिंदर सिंह आजाद, अनुप विमल, नुपुर और अनुप कुमार** के साथ बातचीत कर रहे हैं।

हमें जातिगत जनगणना की जरूरत क्यों हैं? जातियों के आधार पर लोगों की गिनती की इस मांग का क्या कारण है?

हमारे देश में जातिगत जनगणना वहुत से कारणों से अनिवार्य हैं। अगर हम इन कारणों को छोड़ भी दे तव भी जातिगत जनगणना की जरूरत रहेगी क्योंकि हमारे यहां भारत सरकार द्वारा संचालित वहुत सारी जातिगत नीतियां है। हमारे संविधान में कम से कम 25जगह जाति का जिक्र हुआ है।

हमारे संविधान कर्ता इस बात को समझते थे कि जाति जैसी चीज का खात्मा संविधान महज से नहीं किया जा सकता। यही वजह थी कि उन्होंने जातिगत नीतियां दी ताकि वे लोग जो हजारों सालों से जाति आधारित नेतृत्व से फायदा उठाते आ रहे हैं उन्हें प्रभावित किया जा सके।

जातिगत जनगणना हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। अभी तक कुछ जातियों की गिनती होती आ रही है और कुछ की नहीं। सरकार हर जनगणना में एससी/एसटी की गिनती कराती रही है। लेकिन कुछ और भी समुदाय है और उनके लिए सरकारी नीतियां भी हैं। हमारे पास ओबीसी कमीशन है, कम्पोनेंट प्लान है, वित्तीय कमीशन है और बहुत सी नीतियां है। यहां तक ओबीसी वर्ग के लिए हॉस्टल बनाने तक की नीति है लेकिन नहीं है तो वह है ओबीसी जनसंख्या के आंकड़े।

मान लीजिए अगर सरकार की इन नीतियों को अमल में लाना है और केन्द्र सरकार को उदाहरण के तौर पर कर्नाटक और बिहार को फंड देने हैं तो इस फंड का आंवटन इन राज्यों की जनसंख्या के आधार पर नहीं हो सकता क्योंकि किसी के भी पास ओबीसी जनसंख्या के बारे में कोई सुराग नहीं है। और इस बात का निर्णय उस राज्य की कुल जनसंख्या पर आधारित होता है। ऐसे में बिहार को इसलिए फंड ज्यादा मिल जाएगा क्योंकि उसकी कुल जनसंख्या ज्यादा है। जबकि कर्नाटक में ओबीसी की जनसंख्या बिहार से कहीं अधिक हो सकती है।

इस तरह की अंसगतियां है जिनको दुरूस्त करने की जरूरत है। लेकिन यह तभी संभव है जब हमारे पास सही आंकड़े हों। इसलिए सरकारी नीतियों के सही अमल के लिए सही आंकड़ों का होना ही एक मात्र विकल्प है।

वहुत सी सरकारी संस्थाओं ने समय समय पर साफ तौर पर कहा है कि ओबीसी जनसंख्या के आंकड़े सरकार के पास होने चाहिए। योजना आयोग ने भी यही कहा है और सामाजिक न्याय मंत्रालय ने भी इसकी जरूरत जतायी है।

मंडल कमीशन रिपोर्ट के लागू होने के दौरान और ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण के वक्त भी यही प्रश्न उठा था। बहुत सारे आरक्षण विरोधियों ने इसके परिपालन को यह कह कर विरोध किया कि इस मुल्क में ओबीसी जनसंख्या का वास्तविक डाटा उपलब्ध नहीं हैं लेकिन अब यही लोग जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं। आपका क्या कहना है?

जी हां। अगर हमारे पास विशिष्ट आंकड़ें नहीं होगे तव ये सवाल तो उठेंगे ही। हमारे पास प्रमाणिक आंकड़ें हों, इसीलिए जातिगत जनगणना का होना अनिवार्य है। वड़ी ही दिलचस्प वात है कि कैसे वही लोग जो ओबीसी आरक्षण को सही आंकड़ों की कमी के चलते चुनौती दे रहे थेअव जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं। ओवीसी आरक्षण को लेकर दूसरी वात यह है कि इसके अमल के दौरान भारतीय सरकार ने फैसला किया कि हर दस साल में आरक्षण का पुनर्विलोकन किया जायेगा और देखा जायेगा कि कहीं कोई जाति ऐसा तो नहीं जो कि सवल हो चुकी हैं और जिसको कि ओबीसी सूची से हटाना है और वो जातियां जो अभी सबल नहीं हुई उनको चिन्हित कर सूची में शामिल करना है। ओबीसी जनसंख्या के आंकड़ों के अभाव में हम ऐसी समीक्षा कैसे कर सकते हैं। जैसे कि ओबीसी जनसंख्या में कितने ग्रेडयूएट हैं और कितनों के पास पक्का घर है।

जव तक आप इस तरह के आंकड़ों को इकट्ठा और इसे सह-संबंधित नहीं करेंगे, आप यह कैसे चिन्हित कर सकते हैं कि कौन समुदाय सशक्त हो चुका है और यह भी कि उसे सकारात्मक अनुयोजन की जरूरत नहीं हैं? इस मुल्क की अव तक की सभी विकास नीतियों और इनकी सकारात्मक अमल के लिए जातिगत जनगणना बेहद जरूरी है।

पिछली जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी और उसके बाद अनुसूचित जाति को छोड़कर ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा इसे रोक दिया गया आप क्या कहते है ?

यह सच नहीं है कि ब्रिटिश सरकार ने जाति जनगणना वंद की थी यह एक मिथक है। हमारी मांग को अंतर्ध्वंस करने के लिए ऐसा प्रचार किया गया है। वास्तव में नेहरू सरकार ने वर्ष 1951 में जातिगत जनगणना को वंद किया था, न कि कोलोनिअल ब्रिटिश सरकार ने। 1941 की जनगणना में तब की ब्रिटिश सरकार ने पहले की तरह ही जाति की जनगणना में शामिल किया था और आंकड़ें एकत्रित किये थे लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण सरकार ने इसे सारणी वद्ध करने के लिए पैसे देने से मना कर दिया और इस लिए ये आंकड़ें कभी वाहर नहीं आ पाए। इस देश के सभी समाज शास्त्री इस तथ्य को जानते हैं। लेकिन वो इस वात को कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि इससे इस देश का ब्राम्हणवादी शासक वर्ग बेनकाब हो जाएंगे।

कुछ लोग क्यों जातिगतजनगणना का विरोध कर रहे हैं जब कि ये बात बिलकुल साफ है कि हम ये जनगणना भारत में उचित शासन के लिए चाहते हैं ? आखिर उन लोगों के तर्क क्या है ?

जातिगत जनगणना के मुद्दे पर प्रतिपक्षीयों के दो रूप हैं। एक वो जो उनके द्वारा व्यक्त किया जाता हैं या जो विभिन्न सार्वजनिक प्लेटफॉर्मों पर बोला जाता है। और एक वो जो अनकहा है और उनके लिए असली खतरा है यही इन लोगों को जातिगत जनगणना का विरोध करने के लिए प्रेरित करता है।

इन लोगों के असली इरादों को छोड़ कर अगर हम उनके तर्कों का अध्ययन करें तो आप पायेगें कि इनका एक भी तर्क योग्य नहीं है, वो दावा करते हैं कि जातिगत जनगणना से जातिवाद वढ़ेगा, जाति जो कि एक सामाजिक पहचान है वो स्थिर और

संस्थागत हो जाएगी क्योंकि अब सरकार सबसे उनकी जाति पूछेगी।

दूसरे वो दावा करते हैं कि सरकार जातिगत जनगणना बिना भी एन०एस०एस०ओ० उपकरण से और इसकी नीतियों को गढ़ के जरूरी आंकड़ें हासिल कर सकती है और इसके पीछे वे बहुत ही बेतुका तर्क देते हैं कि जातिगत जनगणना से देश टूट जाएगा। इस तरह के तर्क हैं जो कि जातिगत जनगणना के विरोध में आगे किए जा रहे हैं और ये सभी तर्क बड़े बड़े लोगों, मीडिया और इस देश के महान कहे जाने वाले समाज विज्ञानियों समेत कई बुद्धिजीवीयों द्वारा दिए जा रहें हैं।

अगर हम अपने इतिहास को देखें तो देश केवल एक बार ही बंटा थाऔर उसका कारण भी जातीय न होकर धार्मिक था। लेकिन दस साल में हर बार जनगणनाकर्ता आपके घर आते हैं और आपके धर्म के बारे में पूछते हैं। तब इन लोगों को दिक्कत नहीं होता। इस देश में गए वर्षों में भाषा के मुद्दे पर 7-8 हजार से ज्यादा लोग मरे हैं। हमारी याददाश्तमें खालिस्तान आन्दोलन, तमिल कन्नडा दंगे अभी भी ताजा हैं।

बल्कि भाषा के मुद्दे पर तो यहां बहुत कुछ घटित हुआ है। लेकिन फिर भी जनगणना में भाषा का कॉलम है।

हम आपकी दलीलों से पूरी तरह से सहमत हैं, लेकिन ये एन०एस०एस०ओ० जैसे विकल्प क्या हैं? क्या इनसे जरूरी आकंडे निकल कर आयेंगे, जैसे कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं।

इस तर्क को काफी मजबूती से खड़ा किया जा रहा है लेकिन मुझे सच में समझ नहीं आता कि आप कुछ हजार लोगों के नमुना आकारी आंकड़ों (जैसा एनएसएसओ द्वारा किया गया है) से इतने विभिन्ताओं वाले देश के लिए कैसे नीतियाँ बना सकते हैं, जिसकी आबादी भी सौ करोड़ से ज्यादा है। इसकेअतिरिक्त आप इस पर मोटी रकम खर्चने के लिए तो तैयार है लेकिन चालू जनसंख्या प्रणाली के तहत एक और कॉलम जोड़ने को तैयार नहीं हैं। जबकि आपके यही आंकड़े जातिगत जनगणना के जरिये हासिल करने में क्या तकलीफ है जो कि ज्यादा प्रमाणिक भी होंगे और विश्वसनिय भी इसके अतिरिक्त जातीय जनगणना की अपनी कानूनन वैधता है जबकि एनएसएसओ के जरिये एकत्रित आंकड़ों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

एक और तर्क है जो आगे खड़ा किया जा रहा है कि सभी जातियों के आंकड़ों को एकत्रित करने की आवश्यकता ही क्या है। और ओबीसी की जनगणना ही काफी है इसलिए सिर्फ ओबीसी की गिनती ही महज कर लेते हैं।

जी हां कुछ उदार समाजशास्त्री इस तरह के तर्क दे रहे हैं। अब ये जाति की समस्या को सिर्फ ओबीसी और एससी/ एसटी के साथ जोड़कर देखना ऐसा है मानो बाकी सभी वर्गों में इनको जाति समस्या नजर ही नहीं आता और उनका जाति से कोई लेना देना ही नहीं है। ये सब पुराने हथकंड़े ही हैं। वो बहुत ही सुविधापूर्वक अपने लिए स्पेस बनाते हैं और हमसे पूछते हैं, **जाति कहां है,** हर एक चीज अपनी जगह पर है। मुझे अपनी जाति के बारे में नहीं पता है या मैं अपनी जाति के बारे में नहीं बताउंगा। ऐसे लोग यकीनी तौर पर जाति व्यवस्था के उपरी पदानुक्रम से आते हैं और अपनी जाति के फायदों से जो उनकी जाति की बदौलत ही उनको हासिल है। अब इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां अब वे हैं। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं है। जाति समाज के एक बड़े हिस्से के लिए अहितकारी भी है। लेकिन जाति के उपरी पदक्रम में लोगों के लिए जाति कोई समस्या खड़ी नहीं करती जबकि आप देखेंगे कि यही वर्ग जाति आधारित वैवाहिक विज्ञापन देते है। अपने समुदाय के साथ सामाजिक संबंधों को विकसित करते हैं। जाति हमारे निजी और पेशेवर जीवन के सभी स्तरों पर चल रही है तो फिर ये पाखंड क्यों?

आप कहते हैं कि जातिगत जनगणना का विरोध करने वाले लोग अपने असली इरादों या फिर इन्हें असली खतरा क्या है। इस बात के साथ सामने नहीं आ रहें है। जातिगत जनगणना से ये लोग इतने क्यों डरे हुए हैं ? उनके असली खतरे क्या हैं।

उनके असली डर इस तथ्य से उपजे हैं कि अगर ऐसे जातिगत आंकड़े उत्पन्न होंगे और उनके सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक सूचकों से संबद्धजोड़ कर देखा जाएगा तब देश में प्रत्येक जाति की सही तस्वीर उभरकर सामने आ जाएगी और हम बहुत ही विलक्षण आंकड़े प्राप्त करने में सक्षम हो जायेंगे। हो सकता है उदाहरण के लिए ये सच ढूंढ़ने में हम सक्षम हो जाएं कि आजादी के 60 वर्षों के बाद भी यहां एक जाति है जो कुलजनसंख्या का 2-3 प्रतिशत ही है जबकि उसका मीडिया नौकरशाही और न्यायपालिका में सीटों पर 50 प्रतिशत से अधिक कब्जा है। हमें इस तरह के आंकड़े प्राप्त होंगे। इस बात की पूरी सम्भावना है। इस बात की पूरी सम्भावना है कि हम एक ऐसे समुदाय से अवगत हों जो कुलजनसंख्या का 12-15 प्रतिशत है लेकिन देश के कुल संसाधनों के 1 प्रतिशत तक भी उसकी अभी पहुंच नहीं है। ऐसे आंकड़ों से हर क्षेत्र में संसाधनों की उचित विविधता, सभी वर्गों द्वारा संसाधनों के बराबर उपयोग की मांग उत्प्रेरित हो सकता है और वह कुछ जातियों जो अभी तक सभी संसाधनों का उपभोग करते आये हैं, उनके एकाधिकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ सकते हैं। यही वह क्षेत्र है जहां से उनके असली भय निकल कर आ रहे हैं।

जातिगत जनगणना देश के संसाधनों पर उनके एकाधिकार के लिए सीधे खतरा है। मुझे यकीन है कि इस देश की सत्तारूढ़ उच्च जातियाँ देश में जातिगत जनगणना होने की अनुमति तब तलक नहीं देंगी जब तलक हम जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर एक बहुत मजबूत आंदोलन नहीं करेंगे। वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जातिगत जनगणना हमें भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था को नए चरण की ओर ले जाएगी और यह मंडल । और ।। की तुलना में बहुत बड़ा प्रभाव डालेगी।

हमारे राजनीतिक और सामाजिक टीकाकार कह रहे हैं कि हमारे जनगणनाकार जानकार लोग नहीं है। वे लोगों की जाति के अनुसार वर्गीकृत करने में सक्षम नहीं होंगे और इससे गड़बड़ियों को बढ़ावा मिलेगा।

वैसे भी ये गणनाकारों का काम नहीं है। उनके काम महज़ लोगों से उनकी जाति पूछना है और उस फॉर्म में दर्ज कर लेना भर हैं। वैसे भी गणनाकर अक्सर उस इलाके के शिक्षक होते हैं और वे निश्चित रूप से उस क्षेत्र में जातियों के बारे में भारत के सबसे बड़े समाजशास्त्रियों से भी अधिक सूचित होते हैं।

कई लोगों द्वारा ये तर्क आगे किया जा रहा है कि अंतरजातीय विवाह से पैदा हुए बच्चों की जाति क्या होगी ?

पिछली जनगणना में सात लाख से ज्यादा लोगों ने कहा कि वे किसी धर्म को नहीं मानते। वे अलग से उल्लिखित किये गए। जो कहते हैं कि उनकी कोई जाति नहीं है तो उनके लिए इस तरह के विकल्पों को शामिल किया जा सकता है, उनको अलग से गिना जा सकता है। यहां तक कि अंतरजातीय विवाह से जन्मे बच्चों के लिए भी एक स्पष्ट कानून का प्रावधान है कि बच्चे पिता की जाति में आयेंगे। यहां अंतरजातीय सम्बधित कॉलम भी देखे जाने चाहिए।

अमेरिका हर वर्ष वहां हुए अंतर नस्ली विवाहों के आंकड़े लेकर आता है। अमेरिका में 2008-09 में कुल विवाहों का 17-8 प्रतिशत विवाह अंतर नस्ली थे। वे इस डाटे के साथ ही नहीं रूकते हैं। वे अंतरनस्ली विवाहों के और भीतर जाते हैं। उनके पास सटीक डाटे हैं कि कितने ऐसे विवाह हैं जो कालों और हिस्पैनिक और एशियाई और इस तरह के तमाम संयोजनों से हुए हैं। इससे पहले अमेरिका में काले सफेद या मिश्रित जैसे स्तंभों का प्रयोग किया जाता था अब वे एक कदम और आगे चल गए हैं। वे मिश्रित नस्ल के माता पिता की नस्लीय पहचान के बारे में लोगों से पूछते हैं। इसलिए शायद हम उन कारणें को जानने में कभी भी सक्षम नहीं होंगे जो अधिक अंतरजातीय विवाहों के लिए जिम्मेदार हैं। जाति के विनाश के लिए ऐसी शादियां आवश्यक हैं। लेकिन हमारे पास इन तथ्यों के बारें में कई सुराग नहीं है क्योंकि हम अभी तक आवश्यक डाटे उत्पन्न करने के लिए ही तैयार नहीं है।

लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर एक और डर है जो दिमाग को त्रस्त किये है। जनगणनाकार मूल रूप से प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक होते हैं या ज

सरकारी अधिकारी जो हर घर में जाते हैं और जनगणना फॉर्म भरते हैं। लेकिन उनमें से ज्यादातर, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में या तो ब्राहम्ण होते हैं या फिर अन्य उच्च जाति समूहों से होते हैं। यहां बड़ी शिद्दत से बात महसूस की जा रही है कि ये गणनाकार दलित और मुस्लिम बस्तियों में नहीं जाते और घर दफ्तर बैठे ही फॉर्म भर देते हैं। और इस तरह से ये लोग इन दो समूहों की जनसंख्या के आंकड़ों को तोड़ मरोड़ देते है। जातिगत जनगणना के सन्दर्भ में यह खतरा अपने उच्च राजनीतिक मकसद के चलते कई गुना बढ़ जाता है।

जी हां, ये खतरे तो हमेशा से ही यहां हैं। और इसको पूरा मकसद के साथ किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हमारे देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 10 करोड़ के लगभग हैं इनके सम्बंध हिंदू धर्म के किसी भी जाति पदानुक्रम से नहीं है। उनके अपने भगवान हैं, संस्कार, सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति और परपंरा है। व हिंदू धर्म के अनुसार शादी नहीं करते लेकिन उनको जनगणना के जरिये हिन्दू धर्म से जोड़ रखा है ताकि इस देश में हिन्दूओं की जनसंख्या बढ़ जाए।

इस तरह यह एक लम्बी बहस छिड़ी हुई है कि क्योंकि दलित, जाति से बाहर या हिन्दू जाति पदक्रम से बाहर हैं तो क्या वे हिन्दू धर्म का हिस्सा हैं या नहीं। दलित हिन्दू हैं, लोगों ने इस बात का समूचे दलित आंदोलन के इतिहास मे दृढ़ता के साथ विरोध किया है। इसलिए इस देश में हिन्दुओं की अधिक संख्या को दिखाने के लिए ऐसे प्रयास हमेशा से होते रहे हैं। और ओबीसी आबादी की गिनती के संदर्भ में भी ऐसी संभावना है कि जानबूझ कर गलतियां की जाए।

इसलिए मैं मानता हूं कि इस तरह के खतरे हैं कि जनगणनाकार जाति पक्षपाती हो जाएं लेकिन फिर भी हमें जातिगत जनगणना के साथ जाना है जनगणना अधिनियम में गलत सूचना की आपूर्ति के खिलाफ मजबूत कानून का प्रावधान है और जांच और क्रास जांच के लिए भी प्रावधान है।

भारत के बुद्धिजीवियों की बीच भी इस बात को लेकर काफी मंथन हो रहा है लेकिन भारत सरकार की ओर से बहुत ज्यादा कुछ आधिकारिक तौर पर बाहर नहीं आ रहा है। भारत सरकार ने जातिगत जनगणना की इस पूरी बहस में खुद को कैसे प्रकट किया है

भारत सरकार की दलीले विचलित करने वाली हैं। यह जनगणना से जाति की गिनती अलग रखना चाहती है, और इसे अलग से आयोजित करना चाहती है। सरकार इसके लिए 2000 हजार करोड़ रूपये खर्च करने के लिए तैयार है। लेकिन जनगणना फार्म में जाति के लिए सिर्फ एक और कॉलम जोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तब आप देखे कि हमारा सिस्टम कैसे षड़यंत्र में काम करता है। यह ऐसे किसी भी मौके से इन्कार करने की कोशिश कर रहा है जिससे जातिगत जनगणना हो। और यदि ये संभव नहीं है तो वे इसे जनगणना से अलग करना चाहते हैं। अभी तक तो भारत सरकार का इसे करने का कोई इरादा नहीं है वे बस कोशिश कर रही है कि जहां तक संभव हो समय निकलता जाय। ताकि वे कह सकें कि तैयारी या समय की कमी के चलते जातिगत जनगणना 2011 में संभव नहीं हो सकती।

जब सभी राजनीतिक दलों ने फिर से जीओएम (मंत्रियों के समूह) के सामने जातिगत जनगणना करने की आवश्यकता को दोहराया तब सरकार एक और प्रस्ताव लेकर आई कि इसे यूआईडी के साथ करवाना चाहिए और इसकी कार्यप्रणाली पर सभी राजनीतिक समूहों के विचार जानने के लिए सरकार उनके पास फिर से वापिस चली गई। जब दवाव बनाया गया तो अब सरकार एक अलग प्रक्रिया में जाति की गिनती करवाने की बात कर रही है जो और कुछ नहीं महज संसाधनों का अपव्यय है।

सरकार के इस हाल ही के प्रस्ताव, जिसमें वे जाति गिनती से जनगणना को अलग रखना चाहती हैं को लेकर विरोध के आपके क्या कारण हैं ?आप इसे बहानेबाजी क्यों कह रहे हैं?

हाल ही में सरकार ने एक कैबिनेट नोट जारी किया है। इसमें तीन चीजें गौरतलब हैं। पहला कि जातिगत जनगणना को जनगणना से अलग किया जाएगा, दूसरा कि इसके लिए कानूनी ढांचा तैयार होगा, तीसरा कि एक विशेषज्ञ समिति आंकड़ों का विश्लेषण और इनको सारणीबद्ध करने के लिए नियुक्त की जाएगी। हमारा मुख्य विवाद है कि अगर जातियों की गिनती जनगणना के माध्यम से केवल एक कॉलम और जोड़ देने से हो जाती है तब हम जातियों की गिनती कर जनगणना में पहले से मौजूद विभिन्न सामाजिक,आर्थिक सूचकों को साथ जोड़कर उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में भी साथ साथ जान सकते हैं। यही वास्तविक आंकड़े हैं जो हमें देश के वेहतर प्रशासन के लिए संसाधनों के समान वितरण और भारतीय समाज की सही तस्वीर उभारने के लिए चाहिए। लेकिन वे इस तरह के आंकड़ों को लोगों की जानकारी में नहीं आने देना चाहते। इसीलिए वे सिर्फ एक अलग प्रक्रिया में लोगों की जाति पूछने के लिए 2000 करोड़ रूपये खर्च करने जा रहे हैं। ऐसे में आपको सिर्फ जातियों के किसी भी सामाजिक आर्थिक मानचित्र से रहित आंकड़ें मिलेंगे तो इससे आपको यादवों, बाल्मिकीयों, ठाकुरों की संख्या का तो पता होगा लेकिन देश में उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों पर उनकी सापेक्ष पहूंच के बारे में पता नहीं चल पाएगा।

लेकिन मैं आपको एक बात कह दूं कि ये आंकड़े भी हमारे पास आसानी से नहीं आने वाले हैं। सरकार एक विशेषज्ञ समिति के गठन की बात कर रही है जो कि प्रत्येक जाति पर केस दर केस अध्ययन करेगी और निश्चित करेगी कि कौन सी जाति कौन से समूह में जाएगी और तभी आंकड़ों को बाहर लाएगी। अब हमें इस विशेषज्ञ समिति की जरूरत क्यों है जब कि हमारे पास अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय और राज्य सूची पहले से ही है। इस समिति को अब भारतीय मंत्रीमंडल ने मंजूरी दे दी है। ये जाति संबंधित आंकड़े अगले साल फरवरी से सितम्बर तक इस विशेषज्ञ समिति को सौंप दिए जाएगें। जरा सोचिए इससे कितने मामले दर्ज होंगे, कितने आंदोलन पैदा होंगे और मुक्कमल अस्तव्यस्तता का होना एकदम स्वाभाविक है। लोग कहेंगे कि हम इस जाति से हैं हमें ओबीसी में शामिल क्यों नहीं किया गया? ऐसी स्थिति में ये आंकड़े आने वाले कम से कम दस वर्षों में भी पूरे नहीं हो पायेगें। अब इस परिदृश्य की तुलना ऐसे स्थिति से करें जहां जातिगत जनगणना आम जनगणना के साथ हो वहां आप जाति संख्या ही नहीं बल्कि प्रत्येक जाति की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी जान सकतें हैं। एक बार इस तरह के आंकड़ें उपलब्ध हो जाते हैं तब सरकार जातियों का जितना चाहे उतना वर्गीकरण और पुनर्वगीकरण कर सकती है।

ऐसे परिदृश्य को देखते हुए, क्या आपको निकट भविष्य में जातिगत जनगणना का कोई भी मौका दिखाई देता है।

जातिगत जनगणना का विरोध करने वालों की संख्या बहुत कम हैं लेकिन वे बहुत शक्तिशाली हैं और वे इस देश को चलाते हैं। जब तक समाज के बीच से इसकी जोरदार मांग नहीं उठेगी वे इसे इतनी आसानी से नहीं होने देगें। हमलोगों को ये समझना होगा कि यदि ये मुल्क उनसे बावस्ता है और देश के संसाधनों पर उनका बराबर का हक है तो देश के संर्वागीण विकास के लिए कुछ ही जातियों को देश के संसाधनों पर एकाधिकार की अनुमति नहीं दी जा सकती।

किसी भी आधुनिक लोकतांत्रिक देश के लिए उसकी जनसंख्या के आंकड़े नहीं होना स्वस्थ संकेत नहीं है। हर बड़े लोकतांत्रिक देश में चाहे वे दक्षिण अफ्रीका हो या कोई यूरोपीय देश, हर तरह के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। हर देश सूक्ष्म स्तर पर आंकड़े एकत्रित कर रहा है। इसीलिए हमारा मानना है कि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में भी वास्तविक आंकड़े एकत्रित किये जाने चाहिए, यह हमारे देश के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं।

हमलोगों को ये समझना होगा कि यदि ये मुल्क उनसे बावस्ता है और देश के संसाधनों पर उनका बराबर का हक है तो देश के संर्वागीण विकास के लिए कुछ ही जातियों को देश के संसाधनों पर एकाधिकार की अनुमति नहीं दी जा सकती।

• अशोक आनंद

क्रान्ति हथियारों से नहीं विचारों से आती है

मानव जाति के विकास के साथ-साथ विषमता रुपी दानव ने भी अपना आकार बड़ा किया है। विषमताओं के रुप अनेक है। जाति के आधार पर विषमता, धर्म की विषमता, लिंग की विषमता और यहाँ तक कि रंग की विषमता ने आदमी के रुप में जन्मे इस मानव को पशुता का दर्जा दिया है। इस भू-मण्डल पर जब एक अबोध बालक जन्म लेता है तो वह मात्र एक मनुज पुत्र नहीं रहता, वह हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, पारसी, जैन, इसाई, यहूदी पैदा होता है। यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के रुप में समाज द्वारा स्वीकार किया जाता है।

इस देश में लिंग भेद की भी कहानी लम्बी है और भू-मण्डल के अनेक देशों में भी देखी जा सकतीहै। दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद से आप परिचित ही है। एक इंसान को इंसान के अधिकारों से वंचित इसलिए रखा जाता है कि वह काले रंग का है यानी काले और गोरे का भेद। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अभिनव मनुष्य रचना में ठीक ही कहा था - यह मनुज ज्ञानी शृंगालों, कुक्करों से नीच/कड़कता जब भी उसमें स्वाभिमान/फूंकने लगते सब मृत्यु विषाण/इस मनुष्य के हाथ से विज्ञान के भी फूल/छूटते हो वज्र शुभ धर्म अपना मूल।

यह मनुष्य इतना खतरनाक जानवर क्यों हो गया ? अपनी ही प्रजाति के पीठ पर चढ़कर सवारी करता है और सवारी जब हॉफते-हॉफते थक जाता है तो उसे कोड़े लगता है, उसके साथ पशुवत व्यवहार करता है। मनुष्य के शोषक प्रवृत्ति और विषमता मूलक भावना के खिलाफ महापुरुषों ने आज तक संघर्ष जारी रखा है।

सामाजिक न्याय के योद्धओं में कुछ अग्रणी नामों का उल्लेख यहाँ समीचीन होगा। इस भारत भूमि में पैदा हुए नारायण गुरु, ज्योतिबा फूले, सावित्री बाई फूले, पेरियार रामा सामी, साहू जी महाराज, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, बी.पी. सिंह जैसे महान नायकों के संघर्ष, बलिदान और त्याग की कहानियों से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। इतिहास के सुनहरे पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखे ये अमिट नाम सदियों तक हमारे प्रेरणा स्रोत रहेंगे। भारत भूमि से बाहर न्याय के लिए लड़ाई लड़ने वालों में माननीय नेल्सन मंडेला का नाम बड़े ही श्रद्धा और गर्व से लिया जाता है। रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाने वाले इस महान शख्सियत को सम्पूर्ण विश्व नमन करता है। दक्षिण अफ्रीका के क्रूर सत्ता ने सरकार की रंगभेद नीति के खिलाफ बोलने पर मंडेला साहब को सत्ताइस वर्षों तक जेल यातना से दण्डित किया। माननीय नेल्सन मंडेला के प्रति इस लम्बी जेल यातना और अमानवीय व्यवहार के लिए सम्पूर्ण मानवता शर्मसार हो गयी लेकिन इनके संघर्ष ने रंगभेद का खात्मा किया और इन्हें दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पद देकर आदर भी दिया। **मुझे भी गर्व है कि मैंने इस महापुरुष के साथ लगभग पौन घंटे का समय व्यतीत किया। उनका यह सानिध्य मेरे जीवन की एक अविस्मरीणय घटना है। तत्कालीन सहायक निदेशक भारत सरकार पर्यटक कार्यालय वाराणसी ने मुझे महामहिम के नौका विहार के दरम्यान संदर्शन का दायित्व सौंपा था।** अक्टूबर 1990 की बात है। भारत आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया था। कलकत्ता जाने से पूर्व वे वाराणसी पधारे थे। भैंसासुर घाट (राज घाट) पर प्रशासन ने एक बड़ी मोटर बोट उनके नौका विहार के लिए लगायी थी। मुझे मोटर बोट पर आधे घंटे पहले पहुँचने का मौका मिला। मेरे हर्ष की सीमा नहीं थी मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस महान व्यक्ति के साथ मुझे संभाषण का मौका मिलेगा। महामहिम की अगुवाई तत्तकालीन मुख्यमंत्री श्री मुलायमन सिंह यादव ने की। साथ में महात्मा गांधी के पौत्र श्री राजमोहन गांधी भी उपस्थित थे। जैसे ही सभी गणमान्य अतिथि मोटर बोट पर पहुँचे श्री राजमोहन गांधी ने बातचीत की शुरुआत की बहैसियत संदर्शक मैंने महामहिम नेल्सन मंडेला को अपना परिचय दिया और घाटों की चर्चा शुरु कर दी। पंचगंगा घाट पर बाँसों में लटकते आकाश दीपों पर उनकी दृष्टि गयी। जैसे ही मैंने इन दीपों की चर्चा आगे बढ़ायी मंडेला साहब अपने स्थान पर खड़े हो गये और हमारी बातों में गहरी रुचि लेने लगे। सौम्य, शालीन इस आकर्षक व्यक्तित्व ने मन-प्राणों को गहरायी से छू दिया। ऐसे जादुई व्यक्तित्व के लोग दुनिया में कम मिलते हैं। करुणा व प्रेम से लबालब हृदय, मानव मात्र के प्रति इतनी गहरी चाह सब कुछ अद्वितीय, अविस्मरणीय और अतुल्य।

मुझे आज भी आश्चर्य होता है कि कोई व्यक्ति रंगभेद से मुक्ति के इस महान पथ पर चलते हुए कैसे सत्ताइस वर्षों तक जेल की पीड़ा और मानसिक दंश को सह सकता है। **कैसे कोई सत्ताइस वर्षों तक किसी एक संघर्ष को जारी रखते हुए हार नहीं मानता। कोई एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक तपस्वी सत्ताइस वर्षों की तपस्या पूरी करता है, यह सब अविश्सनीय, पर सच है।** हमें प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे महापुरुष से। शोषितों, वंचितों व पिछड़ों को लामबंद होकर समता, समानता के लिए जारी महायुद्ध की धार को और पैनी करनी होगी। भारत भूमि पर उतरते ही मा. नेल्सन मंडेला ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मा. वी.पी. सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा था कि "मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने में आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, उसका मुझे अनुमान है।" हमारी लड़ाई कठिन है, परन्तु विजयश्री दूर नहीं। अगर पूरी ताकत के साथ वर्तमान पीढ़ी लगे तो हम विषमता मूलक समाज की दीवार को धाराशायी कर सकेंगे और अपने जीते जी मानवता के माथे पर लगे इस विभेद के कंलक को धो डालेंगे।

शब्दों के आंदोलन की धार को / हमें, और तेज करनी होगी / क्योंकि हमारे जख्मों को फिर से कुरेदा जा सकता है / हमारे पास केवल शब्द हैं / संघर्ष को जारी रखने के लिए / यही हमारी ऊर्जा है / हम सामन्त तो नहीं है / नहीं कोई माफिया / फिर हमारे पास / हथियार बंद गिरोह कहा से होंगे / हमारे पास केवल शब्द है / उन्हीं को हमें आन्दोलन बनाना है / क्रांति हथियारों से नहीं, शब्दों से आती है।

अशोक आनंद

वॉइस ऑफ ओबीसी के प्रकाशित कुछ चुनिंदा अंक

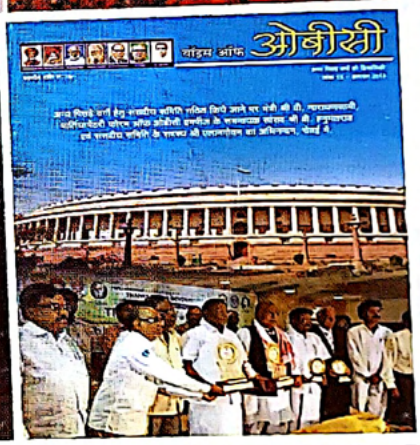

प्रतिबद्धता के १०० वर्ष

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड के सदस्य Member of Banking Codes & Standards Board of India

Proud to be associated with

Helpline Nos.: 1800 208 2244 / 1800 22 2244 (Toll free no.) 080 2530 0175 (Chargeable)
+91 80 2530 2510 (for NRIs) | www.unionbankofindia.co.in

Connect with us: @unionbankofindia @UnionBankTweets
@UnionBankInsta YouTube UnionBankofIndiaUtube In Unionbankofindia